

VACANCY CIRCULAR

"Har Kaam Desh Ke Naam"

No A/49783/J-9/CAO/R-1

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Defence

Office of Joint Secretary & Chief Administrative Officer

Hall No.1, 1st Floor, 'A'-Block

Defence Offices Complex, Africa Avenue

(Near S.N. Depot), New Delhi - 110 023

Dated 27 Sep 2024

All the Ministries/Depts of Govt. of India

All the Chief Secretaries of State Govts. and Union Territories

Sub : FILLING UP OF 02 VACANCIES IN THE GRADE OF 'JOINT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE) IN ARMED FORCES HEADQUARTERS OFFICIAL LANGUAGE SERVICE, MINISTRY OF DEFENCE ON DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT) BASIS.

Sir/Madam,

I am directed to say that 02 vacancies in the grade of Joint Director (Official Language) (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in Level - 12 in the pay matrix, are required to be filled in Armed Forces Headquarters Official Language Service, Ministry of Defence on Deputation (Including Short Term Contract) basis on the following conditions: -

Deputation (Including Short Term Contract):

Officers under the Central Government or State Government or Union Territory administration or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or statutory or autonomous Organisations:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department ; or

(ii) having five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-11 in the pay matrix in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualification and experience :-

Essential Qualifications:-

(i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

(ii) Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

(iii) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

(iv) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Services-II Branch

Diary No 130677

Date 30/10/24

Handwritten signature and date
27-09-2024

(v) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.

Experiences:

(i) Five years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Union territories or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research or educational institutions or

(ii) Five years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research or educational institutions.

Desirable qualification:

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution at least in 10th class pass from a recognised Board.

2. **Job Profile** : Brief particulars of duties assigned to the post of Joint Director (Official Language) are as under : -

- (a) Discharge duties of PHO in his absence.
- (b) General administration of the staff of Hindi Section, leave, disciplinary matters etc.
- (c) Establishment matters relating to Hindi Staff, posting transfers manning etc as well as establishment of Translation Cells.
- (d) Employment of Civilian Education Instructors, control , allocation and career prospects, etc.
- (e) Hindi matters in Education Officers, Sub-Committee, JTC Chiefs of Staff Committee, Ministry of Defence OLIC and visit Parliamentary Sub-Committee on Hindi.
- (f) Selection, up-dating and Allocation of Training notes and final vetting of all translated material.

3. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. The Period of deputation (including short term contract) including period of deputation(including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years in respect of Joint Director (Official Language). The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. The appointment on deputation shall be governed by DOP&T OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 17 Jun 2010 and its subsequent amendments, if any.

Following
27-09-2014

1. Mr. J. D. Singh
2. Mr. J. D. Singh
3. Mr. J. D. Singh
4. Mr. J. D. Singh
5. Mr. J. D. Singh
6. Mr. J. D. Singh
7. Mr. J. D. Singh
8. Mr. J. D. Singh
9. Mr. J. D. Singh
10. Mr. J. D. Singh


5. It is requested that the applications (in duplicate) in the enclosed proforma along with the complete and up-to-date CR dossiers or photocopies of ACRs/APARs (duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary) and Integrity Certificate (duly verified by an officer not below the rank of Deputy Secretary) of the officers who could be spared in the event of their selection may be sent so as to reach to the undersigned within 60 days of the date of publication of this advertisement in the Employment News. **Applications received late or without the ACRs/APARs, Integrity Certificate, Cadre Clearance and Vigilance Clearance or otherwise found incomplete will not be considered.** While forwarding the applications, it may be verified and certified by the Cadre Controlling Authority that the particulars furnished by the officer are correct and that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the officer. **It must also be certified that honesty and integrity of the officer is satisfactory and no major/minor penalty has been awarded to him during the last 10 years.**

6. All Ministries/Departments are requested to circulate this vacancy circular to all Organisations, Public Sector Undertakings, recognised research institutions or Statutory or Autonomous Organisations under their administrative control.

7. The Curriculum Vitae proforma will be available in employment news paper alongwith vacancy circular.

NOTE : CANDIDATES WHO ONCE APPLY FOR THE POST WILL NOT BE ALLOWED TO WITHDRAW THEIR CANDIDATURE.

Yours faithfully


(Z S Koireng)
Deputy Director
CAO/R-1 & R-3
For JS & CAO

Copy to :-

All Coord Sections of Integrated HQ of MoD(Army)

Air HQ/PC-1

Integrated HQ of MoD (Navy)/Dte.of Admin

All Coord Section of IS Organs.

All Sections in the Office of JS & CAO

Kendriya Sainik Board

JCB, DRDO, Metcalfe House, MG Road, Delhi-110054

CAO/P-2 : for information.

CAO/EDP Cell : for uploading on the website of O/o JS & CAO.

“हर काम देश के नाम”

रिक्ति परिपत्र

सं. ए/49783/जे-9/मुप्रअ/भर्ती-1

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय

हाल न.1, प्रथम तल, ए-ब्लॉक
रक्षा कार्यालय परिसर, अफ्रीका एवेन्यू
(नजदीक एस एन बस डिपो) नई दिल्ली - 110023

दिनांक: 17 सितंबर 2024

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव

विषय:- सशस्त्र सेना मुख्यालय, राजभाषा सेवा, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर संयुक्त निदेशक के 02 पदों को भरे जाने हेतु।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों पर, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 में संयुक्त निदेशक (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह -क, राजपत्रित, अननुसचिवीय) सशस्त्र सेना मुख्यालय, राजभाषा सेवा, रक्षा मंत्रालय के 02 पदों को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आधार पर भरा जाना है:-

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्विद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्र्श पद धारण किये हुए है; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या
- (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात्:-

आवश्यक:-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय से हिंदी में परास्नातक की डिग्री एवं स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम रूप में अंग्रेजी विषय रहा हो; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय से अंग्रेजी में परास्नातक की डिग्री एवं स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम रूप में हिंदी विषय रहा हो; या
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय से अंग्रेजी या हिंदी के अतिरिक्त किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से परास्नातक और स्नातक स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी विषय रहा हो; या

27-09-2024

(के. रा. कोरिंग) / 25 NOIRENG)
Dr. Director/1 & III
O/o JS & CAD
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011
Ministry of Defence, New Delhi-110011

(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय से अंग्रेजी या हिंदी के अतिरिक्त किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से परास्नातक और स्नातक स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी विषय रहा हो ; या

(v) किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय से अंग्रेजी या हिंदी के अतिरिक्त किसी भी विषय में परास्नातक जहां डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से किसी एक को परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो ।

अनुभव

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्थायित्व निकायों या कानूनी संगठनों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्विद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन अधिमानी तौर पर तकनीकी साहित्य की शब्दावली (शब्दावली कार्य) का हिंदी में प्रयोग या अनुप्रयोग और अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य में पांच वर्ष का अनुभव या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्थायित्व निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्विद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान कार्य में पांच वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय योग्यता

मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं के स्तर पर संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी भाषा के अलावा कोई एक भाषा उतीर्ण की हो ।

2. कार्य रूपरेखा: संयुक्त निदेशक विदेशी भाषा विद्यालय के पद हेतु नियत किए गए कर्तव्यों का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है:

- (क) पीएचओ की अनुपस्थिति में दायित्वों का निर्वहन करना ।
- (ख) हिंदी अनुभाग के कर्मिकों के अवकाश, अनुशासनात्मक मामलों आदि का सामान्य संचालन संबंधी कार्य ।
- (ग) हिंदी कर्मिकों की तैनाती, स्थानान्तरण, कर्मिक आवश्यकता आदि अनुवाद प्रकोष्ठ स्थापित करना ।
- (घ) सिविलियन शैक्षणिक अनुदेशकों का सेवा नियोजन, नियंत्रण, नियतन तथा जीविका प्रत्याशा आदि ।
- (ङ) शिक्षा अधिकारी, उप-समिति, कर्मिक समिति के जेटीसी अध्यक्षों, राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रक्षा मंत्रालय), संसदीय उप-समिति के राजभाषायी निरीक्षण/दौरे आदि ।
- (च) प्रशिक्षण नोट्स का चयन, अद्यतनीकरण और सभी अनूदित सामग्री का अंतिम पुनरीक्षण संबंधी कार्य ।

3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति, कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. जा. सं. 6/8/2009-Estt(PayII) दिनांक 17-6-2010 एवं इसके अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार होगी।

24.09.2024
(जि. एम. का. / ZS KOTRENG)
ज. एम. का. / प्र. 1 एवं 3
ज. एम. का. / प्र. 1 & III
ज. एम. का. / प्र. 1 & III
O/G & CAO
र. एम. का. / प्र. 110011
Ministry of Defence, New Delhi-110011


5. अनुरोध है की संलग्न प्रपत्र में ऐसे अधिकारियों जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके के आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) पिछले पाँच वर्षों के पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोसियरों अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/ ए पी ए आर की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित) सत्यानिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित) इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। देरी से पहुँचने वाले, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/ ए पी ए आर, सत्यानिष्ठा प्रमाणपत्र, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की अनापत्ति (कैंडर क्लीयरेंस), सर्तकता अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अग्रेषित करते समय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए की अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक/सर्तकता संबंधी मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाअगा कि अधिकारी की ईमानदारी एवं सत्यानिष्ठा संतोषजनक है एवं पिछले 10 वर्षों में उस पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस रिक्ति परिपत्र को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों, विश्विद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों में प्रचालित करें।

7. जीवनवृत्त का प्रारूप रोजगार समाचार पत्र से प्राप्त किया जा सकता है।

टिप्पणी :- पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों तो अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भवदीय,



(जेड एस कोहली)

उप निदेशक, मुप्रअ/ भर्ती-1 एवं 3

कृते संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ

प्रतिचालन :-

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के सभी समन्वय अनुभाग
डी पी ओ/ ए ओ पी शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायुसेना)
डी ओ पी/ सी ओ पी शाखा, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)
अंतर सेवा संगठनों के सभी समन्वय अनुभाग
विदेशी भाषा विधालय, रक्षा मंत्रालय

मुप्रअ/का-2 - सूचनार्थ

मुप्रअ/ई डी पी - मुप्रअ कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।